क्रम-सं०–27(क–4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 फरवरी, 2023

माघ 28, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2

संख्या 2105/आठ-अ0जि0अ0-भू0अ0-सं0सं0-गाजियाबाद
लखनऊ, 17 फरवरी, 2023

अधिसूचना

प०आ०–110

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर0आर0टी0एस0 परियोजना हेतु जिला गाजियाबाद, तहसील मोदीनगर, परगना जलालाबाद अन्तर्गत ग्राम–उखलारसी, सीकरी खुर्द व बिसोखर स्थित 1.5531 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 18 / आठ–अ0जि0अ0 / भू0अ0 / सं0सं0 / गाजियाबाद दिनांक 08 अप्रैल, 2022 को निर्गत की गई थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 15.04.2022 को समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर / असिस्टेंट कलेक्टर मोदीनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देती हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमिका क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देती हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु गाजियाबाद कलेक्टर को निर्देशित करती हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न हैं।

''अनुसूची – क''

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	उखलारसी	315	0.0472
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	सीकरी खुर्द	181	0.0505
				182	0.1900
				183	0.1900
				357	0.0198
				359	0.2140
				371	0.0247
				372	0.1439
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	बिसोखर	686	0.1204
				687	0.3245
				688	0.0434
				691	0.0299
				702	0.0083
				703	0.0282
				704	0.0499
				705	0.0130
				707	0.0554

''अनुसूची–ख''

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
.....लागू नहीं					

टिप्पणी:–उक्त भूमि का स्थल नक्शा गाजियाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
समुचित सरकार/जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर0आर0टी0एस0 परियोजना हेतु जिला गाजियाबाद, तहसील मोदीनगर परगना जलालाबाद के ग्राम–उखलारसी, सीकरी खुर्द, बिसोखर में स्थित 1.5531 हेक्टेयर भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना संख्या 18/आठ–अ0जि0अ0 (भू0अ0)/सं0सं0/गाजियाबाद दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है।

दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर0आर0टी0एस0 कॉरीडोर के निर्माण उपरान्त क्षेत्र में आर्थिक प्रगति के साथ क्षेत्रीय निवासियों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय राजधानी एवं अन्य प्रयुक्त शहरी बिन्दुओं के बीच सड़कों पर वाहनों में कमी के कारण सम्पूर्ण वातावरण में प्रदूषण की व्यापक कमी होगी।

उक्त परियोजना हेतु ग्राम उखलारसी, सीकरी खुर्द, बिसोखर तहसील मोदीनगर व जनपद गाजियाबाद में 1.5531 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के कारण लगभग 46 परिवारों के प्रभावित होने की सम्भावना है जिनमें से 23 कुटुम्बों का आवासीय या व्यवसायिक विस्थापन होने की सम्भावना है। परियोजना से प्रभावित कुटुम्बों के सम्बन्ध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की गई है जिसका सारांश निम्न प्रकार हैः–

- भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं हेतु प्रतिफल की गणना भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की सुसंगत धाराओं एवं अनुसूची–1 के क्रम में किया जायेगा।
- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों की गणना अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के अनुसार की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पॉच लाख रूपये की एक मुश्त धनराशि वार्षिकी या नियोजन के विकल्प के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पचास हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि पुनर्वास भत्ते के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक विस्थापित कुटुम्ब को परिवहन लागत आदि के लिए पचास हजार रूपये की स्थानांतरण सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
- भूमि अर्जन के कारण दुकान (व्यवसाय) खोने वाले सभी प्रभावित कुटुम्ब को दुकान के पुनर्निर्माण हेतु रूपया पच्चीस हजार सहायता राशि दी जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 12 माह की अवधि तक तीन हजार रूपये प्रतिमाह की दर से जीवन निर्वाह अनुदान प्रदान किया जायेगा।

1. उपरोक्त पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का क्रियान्वयन 18 माह की अवधि में करा लिया जायेगा।
2. उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

समुचित सरकार/जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

No. 2105/VIII-A.Ji.A.(Bhu.A.)-San.San.-Ghaziabad

Dated Lucknow, February 17, 2023

Whereas preliminary notification no 18/VIII-A.Ji.A.(Bhu.A.)/San.San./Ghaziabad dated April 8, 2022 was issued under sub-section (1) of section 11 of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 1.5531 hectares of land in village Ukhlarasi, Sikri Khurd & Bisokhar, Pargana Jalalabad Tehsil Modinagar, District Ghaziabad is required for public purpose, namely Delhi-Ghaziabad-Meerut R.R.T.S. Corridor project through National Capital Region Transport Corporation and lastly published on dated April 15, 2022. The Deputy Collector / Assistant Collector Modinagar was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

2- After considering the report of the Collector submitted in pursuance to the provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for the public purpose.

3-The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of District Ghaziabad to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

"SCHEDULE-A"

(Land under proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area (in Hect.)
1	2	3	4	5	6
Ghaziabad	Modinagar	Jalalabad	Ukhlarasi	315	0.0472
Ghaziabad	Modinagar	Jalalabad	Sikri Khurd	181	0.0505
				182	0.1900
				183	0.1900
				357	0.0198
				359	0.2140
				371	0.0247
				372	0.1439
Ghaziabad	Modinagar	Jalalabad	Bisokhar	686	0.1204
				687	0.3245
				688	0.0434
				691	0.0299
				702	0.0083
				703	0.0282
				704	0.0499
				705	0.0130
				707	0.0554

"SCHEDULE-B"

(Land identified as settlement Area for Displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area Earmarked for rehabilitation (in Hect.)
1	2	3	4	5	6
-Not Applicable-					

Note:- A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order,
Appropriate Government/District Collector,
Ghaziabad.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act]

By the order of declaration made under Government notification No. 18/VIII-A.Ji.A. (Bhu.A.)/ San.San./Ghaziabad dated April 08, 2022, 1.5531 hectares of land in village Ukhlarasi, Sikri Khurd and Bisokhar, Pargana Jalalabad Tehsil Modinagar, District Ghaziabad is required for public purpose, namely Delhi-Ghaziabad-Meerut R.R.T.S. Corridor project through National Capital Region Transport Corporation, I hereby published the declaration made therein summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme along with Government notification, a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is given below.

Delhi-Ghaziabad-Meerut R.R.T.S. Corridor would bring Economic growth in the region and employment opportunities to the inhabitants would enhance. Also the traffic congestion between the National Capital and nodal cities would reduce to improve the overall environment of the area.

For the said project, 1.5531 hectares land is proposed to be acquired in village Ukhlarasi, Sikri Khurd and Bisokhar, Pargana Jalalabad Tehsil Modinagar, District Ghaziabad in which around 46 families are expected to be affected because of the acquisition and out of that likely 23 families are in residential/commercial displacement category. For the project affected families, R and R draft scheme has been prepared . The salient features of the Resettlement and Rehabilitation scheme are as follows:-

- The compensation for land and assets attached with it would be evaluated and distributed as per schedule-1 and other provisions laid down under RFCTLARR Act, 2013.
- The Rehabilitation and Resettlement assistance would be paid as per the provisions of schedule-2 of the RFCTLARR Act, 2013.
- One time payment of Rs. 5,00,000/- in lieu of Job/annuity to each affected family .
- One time resettlement allowance of Rs. 50,000/- to each affected family.
- One time allowance @ Rs. 25000/- per family for reconstruction of shop,who lost their shop due to acquisition.
- One time transportation allowance @ Rs. 50,000/- per displaced family.
- Subsistence grant of Rs. 3000/- per month for a period of 12 months to all displaced families.

1. The implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme will be completed within 18 months .
2. The plan for the land may be inspected in the office of the collector for the purpose of land Acquisition.

By order,
Appropriate Government/District Collector,
Ghaziabad.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 7 राजपत्र –2023–(14)=599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन–2023–(15)–100+50=150 प्रतियां(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।